

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

सरकारी आदेश सं०-एसीस-01/नि०-48/09- 474
सेवा में,


पटना, दिनांक-02.06.17

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषय— श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता निर्माण/शिविर हेतु कुल ₹ 3.00 लाख (तीन लाख रुपये) मात्र के व्यय पर चालू योजना की स्वीकृति।

आदेश— स्वीकृत।

2. इस हेतु व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद में 3.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।
3. उक्त बजट प्रावधान मुख्य शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष 102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उपशीर्ष-0103 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग, विपत्र कोड-26-2210011020103 के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 में विषय शीर्ष-28 व्यावसायिक सेवाएं-0103.28.04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद के अधीन विकलनीय है।
4. क्षमता निर्माण/शिविर का आयोजन क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, पटना प्रक्षेत्र द्वारा किया जायेगा।
5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (पटना प्रक्षेत्र) फुलवारीशरीफ होंगे।
6. इस राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय कोषागार, पटना द्वारा किया जायेगा।
7. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या-एसीस-01/नि०-48/09 के पृ०-47/टि० पर प्राप्त है।
8. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-एसीस-01/नि०-48/09 के पृ०-47/टि० पर प्राप्त है।


(संजय कुमार सिंह) 01/06/17

सरकार के अपर सचिव


25/6/17

क०पृ०३०

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि0-48/09- 474

पटना, दिनांक-02.06.12


प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि0-48/09- 474

पटना, दिनांक-02.06.12


प्रतिलिपि-क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि0-48/09- 474

पटना, दिनांक-02.06.12

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/श्रम संसाधन विभाग/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव